

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, जयपुर


क्रमांक एफ.20 (504) एनएचएम/HWC /भर्ती/2020/834

दिनांक: 11/06/2021

विज्ञापित

विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 803 दिनांक 10.05.2021 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सीएचओ के 7810 पदों पर संविदा भर्ती उपरान्त जारी चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की सेवायें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पत्र क्रमांक प.1(1)चिस्वा/ ग्रुप-2/2020 दिनांक 27.04.2021 में वर्णित शर्तों के अधीन जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार वर्तमान कोविड परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक कोरोना वायरस COVID-19 के नियन्त्रण कार्यों हेतु अस्थाई रूप से क्षेत्रीय कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपी जाकर तीन दिवस में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा वर्तमान कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों एवं लॉक डाउन को दृष्टिगत रखते हुये संविदा सीएचओ भर्ती-2020 के चयनित अभ्यर्थियों जिनके द्वारा अभी तक कार्यग्रहण नहीं किया गया है उन्हें अन्तिम रूप से दिनांक 30.06.2021 तक आवंटित जिलों में कार्यग्रहण करने की अनुमति दी जाती है। इस तिथि के पश्चात् संविदा सीएचओ भर्ती-2020 हेतु चयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।



(सुधीर कुमार शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव


चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम

क्रमांक एफ.20 (504) एनएचएम/HWC /भर्ती/2020/834

दिनांक: 11/06/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मन्त्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकि. स्वा0 विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य)/निदेशक, (आरसीएच), एनएचएम, जयपुर।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
8. निदेशक वित्त, एनएचएम, जयपुर।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, संबंधित जोन।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
11. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, राजस्थान।
12. प्रभारी -सर्वर रूम को ईमेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. अनुभाग अधिकारी एच.आर
14. रक्षित पत्रावली।


राज्य नाथल अधिकारी,
एचडब्ल्यूसी, एनएचएम